भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1087

बृहस्पतिवार, 09 मार्च, 2017 को उत्तर देने के लिए

अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में तय समय सीमा से अधिक समय लगना/खर्च होना

1087. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत वाली कितनी अवसंरचना संबंधी परिजयोनाएं अपनी मूल समय सीमा से पीछे चल रही हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विलंब के कारणों का विश्लेषण किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय और लागत में वृद्धि से बचने के लिए प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दिए गए अति-सक्रिय सुझावों या की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से 150 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की चालू अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर अपनी ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के माध्यम से समय और लागतवृद्धि से संबंधित निगरानी करती है । 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत की 1186 परियोजनाओं की निगरानी की गई । इन 1186 परियोजनाओं में से, 336 परियोजनाएं अपने निर्धारित समय सीमा से विलंबित थीं । 336 विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा वेबसाइट www.cspm.gov.in/publication पर दिसंबर 2016 माह की फ्लैश रिपोर्ट के अनुबंध-VI में उपलब्ध है ।

(ख): विलंब के कारण परियोजना-विशिष्ट हैं । तथापि, परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परियोजनाओं के समय से पूर्ण होने में विलंब के प्रमुख कारणों में कानून और व्यवस्था की समस्याएं, भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों में विलंब, वित्तीय बाधाएं, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दे, स्थानीय निकाय/नगर निगम से अनुमतियां, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, संविदात्मक मुद्दे, आदि शामिल हैं ।

(ग): परियोजनाओं को बिना अतिरिक्त समय के पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में: सख्त परियोजना मूल्यांकन; बेहतर मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीएमएस); समय तथा लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों में स्थायी समितियों का गठन करना; और प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने तथा उनका तीव्रता से कार्यान्वयन सुसाध्य बनाने के लिए राज्यों में मुख्य सचिवों के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना शामिल हैं ।

*****